

मूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) ग्राम पंचायत उदेईखुर्द
पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

रामनिवास पुत्र गंगाधर मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर

बनाम

1. मुकेश पुत्र कलुआ मीना उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
2. सुमेर पुत्र कलुआ मीना उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
3. कैलाशी पत्नि कलुआ मीना उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
4. शाखा प्रबंधक एसबीआई उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
5. शाखा प्रबंधक पीएनबी गंगापुर सिटी
6. काडू पुत्र सूक्या मीना उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
7. गिराज पुत्र सूक्या मीना उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
8. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर

मुकदमा नं. —35/2017

निर्णय की दिनांक —27.06.2018

वादीगण की ओर से स्वयं वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी नंबर 1 से 3, की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 27.06.2018 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिकी दी जाती है कि

वादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी को नया दावा पेश करने की छूट के साथ वाद वादी विझावल के आधार पर खारिज किया जाता है।

राजीनामा निर्णय का जुज पोरशन रहेगा।

मुनिदेव यादव
सहायक कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	